



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.:--

Date:20/04/2020

साइबर फ्राड की रोकथाम

संदर्भ सं. :-- दिनांक :20-04-2020

प्रेस विज्ञप्ति

साइबर फ्राड की रोकथाम

अक्सर ऐसी रिपोर्टें आती हैं कि धोखेबाज, फर्जी संस्थाओं से ऑनलाइन/डिजिटल मोड के माध्यम से असामान्य रूप से कम प्रीमियम के साथ बीमा का प्रस्ताव करते हैं। आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे ऐसे प्रस्तावों का शिकार न हों। आम जनता इसके द्वारा को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि बीमा पॉलिसीयाँ केवल निम्नलिखित संस्थाओं से खरीदी जाए:

1. आईआरडीएआई के पास पंजीकृत बीमा कंपनियाँ।
2. बीमा मध्यवर्ती, जो व्यापार याचित कर सकती हैं और आईआरडीएआई के पास पंजीकृत हैं।
3. बीमा कंपनियों द्वारा विधिवत् नियुक्त बीमा एजेंट।

सत्यापन के लिए, बीमा कंपनियों और बीमा मध्यवर्तियों की सूची तक निम्नलिखित लिंक से पहुँचा जा सकता है:

| आईआरडीएआई के पास पंजीकृत संस्था | वेबसाइट लिंक |
|---------------------------------|---|
| जीवन बीमाकर्ता | Updated List Of Life Insurers |
| साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता | Updated List Of Non-Life Insurers |
| बीमा दलाल | Brokers List |
| वेब एग्रीगेटर्स | List Of Web Aggregators |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| बीमा विपणन फर्म | List Of Marketing Firms |
| कॉर्पोरेट एजेंट | List Of Corporate Agents |

व्याक्तिक बीमाकर्ताओं द्वारा नियुक्त बीमा एजेंटों की सूची की जाँच संबंधित बीमाकर्ताओं से की जा सकती है। ग्राहक को यथोचित सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी ऑनलाइन भुगतान करने से पहले वेबसाइट की सच्चाई और बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या एजेंट की सच्चाई का पता लगाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए आप <http://www.policyholder.gov.in/> पर आईआरडीएआई उपभोक्ता शिक्षा वेबसाइट देख सकते हैं।